

अनवन

बन्दीपत्रिका का पत्रिका क्र. ३३

बन्धन

पत्रिका २५/१०/१९

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

पत्रिका क्र. ३३

बन्धन या कार्यवाही मया दृष्टिगत है

३/१०/१९ पत्रावली पेश हुई। रिपोर्ट पत्रावली इन्तजार  
वास्तव पत्रावली का ईन्टर लिंक ३०/१०/१९  
का पेश हो।

३०/१०/१९ पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना उपस्थित।  
रिपोर्ट पत्रावली प्राप्त हो चुकी है, जो शामिल  
पत्रावली हो। वकील के सम्बन्ध में सम्बन्धित  
अंतराज वास्तव प्रकाशित और जातिक सूचना  
सम्बन्धित पत्र सूत्रा संदेश लिंक २५/१०/१९ के  
लिंक की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली  
हो। प्रार्थना के अन्तर्गत के कपान देते पावने  
लिंक जाव। पत्रावली का ईन्टर लिंक १/११/१९  
का पेश हो।

१/११/१९ पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना उपस्थित।  
गवाहों की पारदर्शिता सिद्ध पुत्र लालसिंह  
जाति जटसिख निवासी २ FFA का  
कलविन्द सिंह पुत्र लालसिंह जाति जटसिख  
निवासी २ FFA उपस्थित होकर कपाने कपाने  
हो करवाये, जो शामिल पत्रावली हो।  
प्रार्थना के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर निर्णय चाहा।  
निर्णय वास्तव पत्रावली का ईन्टर लिंक  
१५/११/१९ का पेश हो।

१५.११.१९

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अन्तर्गत  
कर जटसिख मया एवं मया कि पत्रावली  
पत्रावली का अन्तर्गत मया मया निम्न उपस्थित  
अन्तर्गत एवं पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख  
२५५ २५५. तस्वीर काणपुर के रिपोर्ट-२३/१९



बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरणपुर व अन्य

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इमिग्रेशन जज

वसीयत नामा के पालिकात का ही सदस्य का है।  
अर्थात् इति उपलब्ध कराये गए अभिलेखों में यहाँ  
निर्दिष्ट वरिष्ठता के अनुसार जमा वंशियों में इ-प काय  
के नीचे के अनुसार शक्ति वसिहतवती की  
स्विकृति है।

पुनर्निर्दिष्ट वंशियों के अन्तर्गत श. व. अधिकारी  
का 39 में यह प्रावधान है कि खातेदार अपनी जोत का  
उपरोक्त किसी भाग के अपने हित की स्वीकृति दिखाने के  
अनुसार वसीयत का होता है। वसीयत के मामले में  
श्री अभिलेख नियम 1957 के नियम 131(2) में नामा के  
पक्षों के वसीयत की जोत सम्बन्धी व्यवस्था के अन्तर्गत  
इसने सभी पक्षों का गहनता से मन्तव्य किया वसीयतवती  
ने अपने जीवन काल में स्वस्थ दिनांक 27.6.2007  
को वसीयतनामा दे गये हैं और हाथों में लिखवाये हैं  
जिसे दोनो पक्षों के अपने पक्षों में स्वीकार किया  
है। शक्ति स्विकृति है। समस्त पक्षों के बीच वसीयत  
के दिनांक 25.10.19 के प्रकाशन दिनांक के बाद और अर्थात्  
तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। उक्त समस्त  
विवरणों से वसीयत की वैधता पर किसी प्रकार  
की शंका या संदेह नहीं है। वसीयत उपाय  
होती है।

अतः परकारी हल्का के आदेश दिया जाता है कि  
मुताबिक वसीयत दिनांक 27.06.2007 के अनुसार पक्ष  
उपलब्ध की शक्ति पुरवांनं 8, 11, 35/14 तथा 17 की  
शक्ति वसीयतनामा में लिखे अनुसार (इन्हें मुक्त होने के  
बाद) राजस्व रेकार्ड में जाये। इतकाल अन्तर्गत  
रिक्त जाये। तथा पालिका के अन्तर्गत  
जाये। निरर्थक एवं अज्ञानता से मुक्त  
पत्रावली के अनुसार ही दस्तावेज जारी करने

  
14.11.19

प्रा  
प्रा  
प्रा